[illegible]

13/10/2020

वकील वादी द्वारा [illegible] व विड्रा पेश होने पर [illegible] 13 [illegible] के कारण [illegible] 20/11/2020 को [illegible]

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में [illegible] के मध्य मौके पर विवादित [illegible] के संबंध में राजीनामा हो गया है। अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है तथा पक्षकारान उनवानी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः प्रा०पत्र स्वीकार कर वादपत्र विड्रा किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

चूंकि वकील वादीगण के कथनानुसार विवादित पक्षकारों के मध्य मौके पर राजीनामा हो चुका है तथा ~~पक्षकारान~~ वादीगण न्यायालय हाजा से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी वादपत्र विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/10/2020

(राकेश कुमार) RAS

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर)